न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

(बइजलास पंकज गढ़वाल आर0ए0एस0)

वाद संख्या 192 सन् 2020 निर्णय दिनांक 5-1-2021

पारसराज पुत्र उदमी आयु 55 साल पुत्र लेखू जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढ़ाणी बड़ी तहसील सिद्धमुख जिला चूरू

– वादी

बनाम

1. उदमी पुत्र लेखू जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढ़ाणी बड़ी तहसील सिद्धमुख जिला चूंरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब/उप पंजीयक साहब, सिद्धमुख तहसील राजगढ़ जिला चूरू

– प्रतिवादीगण

3. बनवारीलाल
4. राजकुमार
5. हंसराज } पुत्रगण उदमी जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीगण ढ़ाणी बड़ी तहसील सिद्धमुख जिला चूरू
6. रूकमणी देवी
7. बिमला देवी } पुत्रिया उदमी जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीगण ढ़ाणी बड़ी तहसील सिद्धमुख जिला चूरू

– गौण प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

1. श्री बृजमोहन शर्मा व दीनदयाल स्वामी अधिवक्ता – वास्ते वादी
2. श्री बजरंगलाल शर्मा अधिवक्ता – वास्ते प्रतिवादी सं. 1
3. श्री राजेश शर्मा व बलवान शर्मा अधिवक्ता – वास्ते गौण प्रतिवादीगण सं. 3 तां 7
4. नायब तहसीलदार राजगढ़ – वास्ते पैरोकार राज

वाद घोषणात्मक अंतर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट।

–: निर्णय :–

वादी द्वारा घोषणात्मक वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट वंशवृक्ष पेश करते हुए निम्न आधार पर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि – कृषि भूमि गत खसरा

नम्बर 278, 415/281, 301, 412/355 वाके रोही ढ़ाणी बड़ी तहसील राजगढ़ हाल तहसील सिद्धमुख ज़िला चूरू में स्थित रही है जो वादी तथा गौण प्रतिवादीगण सं. 3 ता 7 के दादा व प्रतिवादी सं. 1 के पिता लेखू उर्फ लेखराम पुत्र रतनाराम जाति कुम्हार निवासी ढ़ाणी बड़ी तहसील राजगढ़ हाल तहसील सिद्धमुख जिला चूरू के खातेदारी की रही है। वादी व गौण प्रतिवादीगण के दादा तथा प्रतिवादी सं. 1 के पिता लेखू उर्फ लेखराम की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि लेखू उर्फ लेखराम के वारिसान प्रतिवादी सं. 1 ईश्वरसिंह सहित लेखू उर्फ लेखराम के अन्य वारिसान के जरिए विरास्तन नामांतरकरण ब हिस्सा बराबर दर्ज हुई है। जिसके बाद प्रतिवादी सं. 1 नें अपनें हक हिस्सा की कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाकर रकम लगान अलग से कायम करवा ली हैं। वर्तमान में उक्त गत खसराजात की कृषि भूमि में खाता विभाजन के बाद प्रतिवादी सं. 1 उदमी पुत्र लेखू के राजस्व रिकार्ड में जो कृषि भूमि दर्ज चली आ रही हैं उसके हाल खाता सं. 12 खसरा नम्बर 425 तादादी 2.00 हैक्टेयर, ख0नं0 426 तादादी 0.05 हैक्टेयर, ख0नं0 478 तादादी 0.12 हैक्टेयर,. ख0नं0 667/574 तादादी 1.03 हैक्टेयर व ख0नं0 668/574 तादादी 5.19 हैक्टेयर कुल तादादी 8.39 हैक्टेयर वाके रोही ढ़ाणी बड़ी तहसील राजगढ़ हाल तहसील सिद्धमुख जिला चूरू पैमूद हुए है। यही विवादित कृषि भूमि है। वास्ते अवलोकन राजस्व रेकार्ड संलग्न वाद पत्र पेश है। उक्त विवादित कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं लेकिन वादी व गौण प्रतिवादीगण, प्रतिवादी सं. 1 सहित उक्त विवादित कृषि भूमि पर ब हिस्सा बराबर काबिज होकर काश्त व उपयोग उपभोग करते आ रंहे हैं। इसलिए वादी उक्त विवादित कृषि भूमि हाल खाता सं. 12 खसरा नम्बर 425 तादादी 2.00 हैक्टेयर, ख0नं0 426 तादादी 0.05 हैक्टेयर, ख0नं0 478 तादादी 0.12 हैक्टेयर, ख0नं0 667/574 तादादी 1.03 हैक्टेयर व ख0नं0 668/574 तादादी 5.19 हैक्टेयर कुल तादादी 8.39 हैक्टेयर वाके रोही ढ़ाणी बड़ी तहसील राजगढ़ हाल तहसील सिद्धमुख जिला चूरू में प्रतिवादी सं. 1 के साथ अपना बहिस्सा बराबर 1/7 हिस्सा घोषित करवानें का अधिकारी हैं जिस हेतु यह वाद घोषणात्मक खातेदारी का पेश किया जा रहा हैं। प्रतिवादी सं. 1 व लेखू के अन्य वारिसान ने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारीयो से मिलीभगत कर लेखू उर्फ लेखराम की मृत्यु होने के बाद गलत कुर्सीनामा तैयार कर लेखू उर्फ लेखराम के अन्य वारिसान को ना दिखाते हुए केवल मात्र खुद को व अन्य वारिसान को दिखाते हुए गलत रूप से उक्त कृषि भूमि को जरिए विरास्तन इंतकाल के बालाबाला रूप से बिना वादी व

गौण प्रतिवादीगण को जानकारी हुए बिना, प्रतिवादी सं. 1 व अन्य वारिसान नें अपने स्वंय व अन्य वारिसान के नाम दर्ज करवा लिया जिसका प्रतिवादी सं. 1 को कतई हक अधिकार नही था। विवादित कृषि भूमि वादी व गौण प्रतिवादीगण की दादालाई सम्पति है जो वादी व गौण प्रतिवादीगण को व प्रतिवादी संख्या 1 को उनके दादा व पिता लेखू उर्फ लेखराम से प्राप्त हुई है तथा वादी, गौण प्रतिवादीगण व प्रतिवादी सं. 1 हिन्दू खानदान के सदस्य है जो हिन्दू धर्म को मानने वाले है तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा विधि से शासित है। इस कारण उक्त विवादित कृषि भूमि में वादी व गौण प्रतिवादीगण का जन्म से हीं हक व हिस्सा रहा है जिस कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 तथा गौण प्रतिवादीगण उक्त विवादित कृषि में ब0हि0ब0 1/7 – 1/7 हिस्सा के हकदार व खातेदार है और इसी अनुसार अपनें हक हिस्सा पर काबिज होकर उक्त कृषि भूमि को काश्त करते आ रहे है जिन्होनें वर्तमान में उक्त विवादित कृषि भूमि में अपने हक हिस्सा में फसल भी काश्त कर रखी है। इसी अनुसार वादी उक्त विवादित कृषि भूमि में अपनें हिस्सा 1/7 हिस्सा को अपनें हक में घोषित करानें का अधिकारी है। जिस हेतु वादी द्वारा यह वाद घोषणात्मक पेश किया जा रहा है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को काफी कहा व कहलवाया कि वह विवादित कृषि भूमि में वादी का हक हिस्सा 1/7 हिस्सा उपरोक्तानुसार घोषित मानकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवा देवें मगर प्रतिवादी संख्या 1 नें दिनांक 19.08.2020 को ऐसा मानने व करवाने से बमुकाम ढ़ाणी बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्पष्ट इन्कार कर दिया। जिस कारण वादी को इसी दिन से वाद कारण हासिल है तथा वादाधार वादी को उक्त विवादित कृषि भूमि दादालाई सम्पति होनें के कारण तथा उक्त विवादित कृषि भूमि में वादी को प्रतिवादी सं. 1 का पुत्र होनें से हासिल है। भूमि की सर्वोत्तम मालिक राजस्थान राज्य सरकार है जिस कारण राजस्थान राज्य सरकार के प्रतिनिधि श्रीमान् तहसीलदार साहब, सिद्धमुख को आवश्यक पक्षकार वाद प्रतिवादी बनाया गया है। विवादित कृषि भूमि में गौण प्रतिवादीगण का भी हित निहित हैं जिनको पक्षकार वाद वादीगण बननें का कहा तो उन्होने इसमें अपनी असमर्थतता जताई जिस कारण कानूनी उजर हटानें के लिए इन्हे पक्षकार वाद गौण प्रतिवादीगण बनाया गया हैं। पक्षकारान वाद व विवादित कृषि भूमियां अदालतवाला के अधिक्षेत्र में स्थित होने से अदालतवाला को वाद का हर प्रकार से श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है वाद निर्धारित न्यायालय शुल्क पर अंदर मियाद पेश है। आदि आदि।

अंत में निवेदन किया कि घोषित किया जावे कि वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादीगण प्रत्येक विवादित कृषि भूमि हाल खाता सं. 12 खसरा नम्बर 425 तादादी 2.00 हैक्टेयर, ख0नं0 426 तादादी 0.05 हैक्टेयर, ख0नं0 478 तादादी 0.12 हैक्टेयर, ख0नं0 667/574 तादादी 1.03 हैक्टेयर व ख0नं0 668/574 तादादी 5.19 हैक्टेयर कुल तादादी 8.39 हैक्टेयर वाके रोही ढ़ाणी बड़ी तहसील राजगढ़ हाल तहसील सिद्धमुख जिला चूरू में बहिस्सा बराबर 1/7 – 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन दरामद किया जानें के आदेश श्रीमान् तहसीलदार साहब सिद्धमुख को फरमाया जावे।

वाद प्रस्तुत होनें पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादीगण सं. 3 ता 7 नें जरिए अधिवक्ता पेश होकर इकबाल दावा प्रस्तुत कर वाद वादी डिक्री किये जाने में कोई आपति नही दर्शाई, पैरोकार राज नें राजहित प्रभावित नही होना जाहिर किया।

वादीगण द्वारा अपनें वाद के समर्थन में दस्तावेजात प्रमाणिम प्रति नामान्तरकरण सं. 8, हाल जमाबन्दी खाता सं. 12 सम्वत् 2075 – 2078 रोही ढ़ाणी बड़ी, शपथ पंत्र पारसराज बाबत कुर्सीनामा मृतक लेखराम दिनांक 06.07.2020, पेश किये जिनका अवलोकन किया गया।

वादी नें अपनें वाद के समर्थन में दस्तावेज पेश किए है तथा प्रतिवादी सं. 1 व गोण प्रतिवादीगण सं. 3 ता 7 की ओर से इकबाल दावा पेश कर वाद वादी के हक में स्वीकार किये जाने बाबत कोई आपति दर्ज नही की गई है। पैरोकार राज द्वारा राजहित प्रभावित नही होना जाहिर किया गया है।

चूंकि प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादीगण सं. 3 ता 7 द्वारा वाद का कोई प्रतिरोध नही कर जरिये इकबालदावा वाद को वादी के हक में स्वीकार किया गया है। पैरोकार राज द्वारा वाद में राजहित निहित नही होना जाहिर किया है। इसलिए वाद वादी के हक में डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः आदेश है कि विवादित कृषि भूमि हाल खाता सं. 12 खसरा नम्बर 425 तादादी 2.00 हैक्टेयर, ख0नं0 426 तादादी 0.05 हैक्टेयर, ख0नं0 478 तादादी 0.12 हैक्टेयर, ख0नं0 667/574 तादादी 1.03 हैक्टेयर व ख0नं0 668/574 [illegible] हैक्टेयर कुल तादादी 8.39 हैक्टेयर वाके रोही ढ़ाणी बड़ी तहसील

राजगढ़ हाल तहसील सिद्धमुख जिला चूरू में वादी सं. 1 पारसराज 1/7 हिस्सा का तथा प्रतिवादी सं. 1 उदमी 1/7 हिस्सा का तथा गौण प्रतिवादीगण सं. 3 ता 7 क्रमशः बनवारीलाल, राजकुमार, हंसराज, रूकमणी देवी, बिमला देवी प्रत्येक 1/7 – 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते हैं। उपरोक्तानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना स्वंय वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 04-01-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)